

28/11/24

पत्रावली वाले निर्दिष्ट प्रा. पत्र केरु हुई। वकील प्रार्थी
अनुपस्थित, वकील अध्याधी अधिष्ठित। वकील प्रार्थी साथ
प्रस्तुत प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 3 में सुदुम की
दिनांक अंकित नहीं होने एवं सुदुम प्रमाण पत्र की
प्रस्तुत नहीं होने के प्राथमिक पत्र 22(3) अधीन
क्रिया जाता है। साथ ही प्राथमिक पत्र 251-A अधीन
क्रिया जाता है। पत्रावली केवल सुमार होकर
नैवार से चम हो



सहायक जज एवं
उ. अधीनस्थ न्यायालय